

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 06/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. -----(अ). केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है। अर्थात्: -

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 25क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध	शून्य	शून्य"

	9991	प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।		
--	------	----------------------------------	--	--

(ग) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (इ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदार,”

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) अप्रैल, 2025 के पहले दिन से प्रभावी मद (ब) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (यत्र) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(यत्रक) “बीमाकर्ता” का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में दिया गया है।”।

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) सा.का.नि. संख्या 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित ककी गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. संख्या 621 (अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।